न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – श्री नीता वसीटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2019	13.03.2019	17.08.2022

अनवान

1. श्रीमति रतनी पुत्री मोती रेगर जाति रेगर, पत्नी मांगीलाल रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) हाल ठक्कर बापा रेगर कॉलोनी सुरजपोल उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता मोतीलाल रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. श्री लालचन्द्र पिता मोतीलाल रेगर जाति रेगर आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
3. सरपंच,ग्राम पंचायत हरनाथपुरा, पंचायत समिति राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री आरएल शर्मा	अपीलांट।
	एकतरफा	रेस्पोडेन्ट।

–:: अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश ग्राम गन्दरफ ग्राम पंचायत हरनाथपुरा नामान्तकरण संख्या 434 जो दिनांक 22.07.2014 ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक अपील खिलाफ रेस्पोडेन्ट्स के पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण आदेश सर्वथा खिलाफ कानुन होकर निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि ग्राम गन्दरफ पटवार क्षैत्र हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0 के खातेदार काश्तकार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी की मृत्युपरान्त पटवार हल्का हरनाथपुरा ने आराजी खसरा नंबर 857/54 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही 3 लगान 13.05 चा0न. 857/54 का नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 25.08.2014 मृतक

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:03 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार मोती रेगर के विधिक वारिसान की जांच कर सजरा बनाकर भरकर पेश किया तथा यह अंकन किया की मृतक मोती रेगर के बजाय पुत्र शिवलाल लालचन्द्र एवं पुत्री रतनी पत्नि फोत जिस पर ग्राम पंचायत हरनाथपुरा ने बिना कोई जांच किये कानुनी प्रावधानों के विपरित अपने आदेश दिनांक 22.07.2014 में विरासत से मोती पिता दल्ला रेगर के बजाय शिवलाल,लालचन्द्र पिता मोतीलाल के नाम खाता दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की व अपीलन्ट को उसके जायत हकों से महरूम कर दिया उक्त नामान्तकरण कानुनी प्रावधानों के विपरित फैसल कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अपीलान्ट मृतक खातेदार मोती की जाईन्दा पुत्री होकर विरासत का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वैध वारीस होकर के मृतक खातेदार मोती की जायदाद व आरजीयात पर काबिज होकर के कब्जे काश्त आराजीयात है आराजीयात जेर बहस का सहखातेदार भी अपीलान्ट ही है, उक्त तमाम तथ्य व कब्जे की बिना सिनाक्ती के अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में भारी भुल की है। यह है कि मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी की मृत्युपरान्त विरासत का नामान्तकरण उक्तांकित वारिसों (शिवलाल,रतनी एवं लालचन्द) के नाम फैसल करना चाहिए था परन्तु पटवारी हल्का हरनाथपुरा ने उक्त नामान्तकरण उक्तांकित सजरे अनुसार भरकर वास्ते स्वीकृति ग्राम पंचायत हरनाथपुरा में पेश किया लेकिन ग्राम पंचायत हरनाथपुरा ने अपने मनमकसुद तरीके से अपने अधिकारों से परे जाकर बिना कोई जॉच किए वारिसानों का सत्यापन नही कर उक्त मृतक खातेदार का विरासत से नामान्तकरण शिवलाल एवं लालचन्द्र के नाम पर फैसल कर अपीलान्ट को अपने जायज विधिक हको से वंचित कर दिया जबकि अपीलान्ट मृतक मोती की जायन्दा पुत्री होकर हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है,लेकिन पटवार हल्का हरनाथपुरा द्वारा भरे गये नामान्तकरण से परे जाकर ग्राम पंचायत हरनाथपुरा ने जान बुझकर गलत नामान्तकरण फैसल कर दिया जो काबिले दुरूस्त है। उक्त नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट की अदम मोजुदगी,बिना जानकारी व बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया था जिस कारण अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण फैसल होने की कोई जानकारी नही थी उक्त नामान्तकरण आदेश होने की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 03.01.2019 को उसके खाते की ऑन लाईन नकल लेने से हुई उसके बाद कार्यवाही कराने के लिये पटवारी जी से नामान्तकरण की सत्यप्रति प्राप्त की जो दिनांक 04.01.2019 को प्राप्त हुई नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करते ही यह अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। यह कि नामान्तकरण फैसल होने की दिनांक 22.07.2014 से नामान्तकरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 04.01.2019 तक की समयाअवधि को मुजरा कन्डौन दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है।अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश ग्राम पंचायत हरनाथपुरा नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 22.07.

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:03 IST
Reason: SelfAttested

2014 को अपास्त फरमा मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर के नाम गन्दरफ मे स्थित समस्त आराजीयात का नामान्तकरण मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर के बजाय शिवलाल,रतनी (अपीलन्ट) एवं लालचन्द्र के नाम फैसल किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर अपीलांट्स की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.03.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजुद सूचना हाजिर नही आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 24.03.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1–2 हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 17.08.2022 को बावजुद सूचना हाजिर नही आने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट हाजिर नही होने सेअधिवक्ता अपीलाट द्वारा अपीलमेमों पर की गई बहस को एक तरफा सुना गया।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र के अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को एक तरफा सुना गया। मनन किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर एवं अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किये जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी की ग्राम गन्दरफ पटवार हल्का हरनाथपुरा द्वारा वक्त नामान्तकरण अवलोकन कराते हुए बहस समाप्त की गई।

अपील में निर्णय का बिन्दु यह है कि वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22.07.2014 ग्राम पंचायत हरनाथपुरा द्वारा मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी की ग्राम गन्दरफ पटवार हरनाथपुरा का वारिसाना नामान्तकरण विधिवत जॉच किया जाकर मृतक खातेदार के वारिसान के नाम पर निर्णित किया गया है अथवा नहीं? नहीं कि स्थिती में मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी के वारिसान के नाम पर नामान्तकरण निर्णित नहीं होना अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायानलय ग्राम पंचायत आरणी के निर्णित नामान्तकरण संख्या 434 निर्णय दिनांक 22.07.2014 को अपास्त किया जाना उचित है।

निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपील पत्रावली में ग्राम पंचायत हरनाथपुरा की ओर से किए गये अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली नहीं है। न ही ऐसी पत्रावली की प्रमाणित प्रति आदि है तथा न ही पत्रावली से संबंधित कोई विवरण/तथ्य है। केवल मात्र नामान्तरकरण संख्या 434 निर्णय दिनांक 22.07.2014 की प्रति संलग्न है।

हमने पत्रावली अपील अपीलांट का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत हरनाथपुरा द्वारा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 22.07.2014 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 434 के कॉलम संख्या 14 में पटवारी रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्री मोती की मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:03 IST
Reason: SelfAttested

हो चुकी है। कॉलम संख्या 16 के अनुसार माफिक मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरानुसार वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर पेश है । पटवार हल्का हरनाथपुरा द्वारा नामान्तकरण कॉलम संख्या 9 में श्री शिवलाल, लालचन्द्र,रतनी पिता मोती रेगर सा0राशमी खातेदार अंकन किया गया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत डिण्डोली द्वारा पटवारी रिपोर्ट की तस्दीक कर वारीसान का सजरा अंकित है कार्यवाही बेरून मियाद है। उस पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हरनाथपुरा ने अपने निर्णय में अंकित किया कि नामान्तकरण संख्या 434 विरासत से मोती पिता दल्ला रेगर के बजाय शिवलाल, लालचंद पिता मोतीलाल के नामखाता दर्ज करने की स्वीकृति हुई है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण को दर्ज करने, उसकी जांच करने व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान लागु होते है। उक्त नियमों के नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को नामान्तरकरण के संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है लेकिन पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हरनाथपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधि के उक्त उपबंधों की पालना नहीं की गई है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 434 निर्णय दिनांक 22.07.2014 द्वारा ग्राम पंचायत हरनाथपुरा राजस्थान भू राजस्व(भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधान की पालना नहीं कर निर्णित करने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार राशमी को प्रति प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार राशमी मृतक खातेदार मोती पिता दल्ला रेगर निवासी राशमी के विधिक वारिसानों की विधि के सुसंगत प्रावधानों के आलेख में नये सिरे से पूर्ण जांच उपरांत निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। तहसीलदार राशमी को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 17.08.2022 को सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
उपखण्ड अधिकारी
राशमी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:03 IST
Reason: SelfAttested